



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 20.01.2025

1.थाना फेस-2 नोएडा पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ के संबंध में--

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 20.01.2025 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा सै0-92 नोएडा रैड लाइट पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को रूकने का इशारा किया गया तो वह नहीं रुका और तेजी से एनएसईजेड मेट्रो की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा शक होने पर उपरोक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति का पीछा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार ग्रीन बेल्ट के किनारे नाले की पटरी की तरफ भागने लगा और एक पुलिस टीम को सामने से भी आता देख और स्वयं को घिरता देखकर उसके द्वारा मोटरसाइकिल को वहीं गिराकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जिसकी पहचान ललित पुत्र सुदर्शन निवासी गांव एचोरा, थाना अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 30 वर्ष के रूप में हुई है। घायल बदमाश के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस और 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। उपरोक्त बदमाश का काफी बड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसके विरुद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व जिला बुलन्दशहर के कई थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। यह फुटपाथ या बन्द पड़ी कम्पनियों में रहता है और मौका पाकर चोरी व लूट की घटनाओं को अन्जाम देता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. ललित पुत्र सुदर्शन निवासी गांव एचोरा, थाना अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास की जानकारी--

1. मु0अ0सं0-285/17 धारा-323,354(A),504,506 भा0द0वि0 व 3(1)(X) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0-517/20 धारा-147,323,354(B),452,504,506 भा0द0वि0 व 3(2)(VA) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर।
3. मु0अ0सं0-1367/17 धारा-379,411 भा0द0वि0 थाना सै0-39 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-333/17 धारा-398,411 भा0द0वि0 थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

5. मु0अ0सं0-366/18 धारा-4/25 आयुध अधिनियम थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0-572/17 धारा-411,414 भा0द0वि0 थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0-573/17 धारा-411,414 भा0द0वि0 थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0-06/21 धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0-224/22 धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0-261/23 धारा-4/25 आयुध अधिनियम थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0-347/22 धारा-380,411,457 भा0द0वि0 थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
12. मु0अ0सं0-348/22 धारा-380,411,457 भा0द0वि0 थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
13. मु0अ0सं0-349/22 धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
14. मु0अ0सं0-416/23 धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. अधिनियम थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
15. मु0अ0सं0-537/23 धारा-4/25 आयुध अधिनियम थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
16. मु0अ0सं0-767/17 धारा-380,411,457 भा0द0वि0 थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
17. मु0अ0सं0-08/23 धारा-379,411 भा0द0वि0 थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल रंग सफेद रजि0न0- UP13AN6386
2. 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस

2.थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा माफिया रणदीप भाटी गैंग का 10,000/- रुपये का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18/12/2024 को ग्राम मोतीपुर मे सैनिक फार्म हाउस पर थार कार सवार युवकों द्वारा फार्म हाउस के केयर टेकर के साथ मारपीट की गयी थी व जान से मारने कि नियत से फायरिंग की गयी थी जिसके संबंध मे थाना इकोटेक प्रथम पर अभियोग पंजीकृत किया गया। **दिनांक 20.01.2025** को थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये उपरोक्त अभियोग मे वांछित 10000 रुपये/- के इनामिया अभियुक्त अमन भाटी पुत्र सत्यवीर भाटी को घरबरा अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया है।

घटनाक्रम का विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्त अमन भाटी रणदीप भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य भूपेंद्र का सहयोगी सदस्य है जो निरंतर संगठित अपराध मे लिप्त था जो गैंग बनाकर अवैध उगाही करना, रंगदारी मांगना, अवैध रूप से जमीनो पर कब्जा करना व अवैध रूप से निर्माण कार्यों के ठेके लेना आदि गतिविधियों मे सम्मिलित था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अमन भाटी पुत्र सत्यवीर भाटी निवासी ग्राम घरबरा थाना इकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 111/2024 धारा 115(2)/351(2)/125/109/3(5)/117(1)बीएनएस थाना - इकोटेक प्रथम जनपद-गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 153/2020 धारा- 379/386/427/506 भादवि नॉलेज पार्क जनपद-गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 306/2020 धारा-386/504/506 भादवि नॉलेज पार्क जनपद-गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 376/2020 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट नॉलेज पार्क जनपद-गौतमबुद्धनगर

3.थाना बादलपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा .315 बोर मय दो जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 20.01.2025 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त तन्नी पुत्र कर्मवीर को ग्राम दुजाना से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा .315 बोर मय दो जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. तन्नी पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम बिश्रौली थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

2. मु0अ0सं0 19/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 114/2024 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 223/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. एक तमंचा .315 बोर मय दो जिंदा कारतूस .315 बोर ।